



कार्यालय वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती।

email: cf Bhagi-forest-uk@nic.in

फोन/फैक्स-0135-2431159,

पत्रांक

/12-1 दिनांक ,मुनिकीरेती 20/1/2015।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नाकुरी-सिंगोट मोटर मार्ग से पाव मोटर मार्ग हेतु 1.092 हेक्टेयर वन भूमि में पड़ने वाले बांज वृक्षों का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण के संबंध में।

संदर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग का पत्रांक 2402/12-1 दिनांक 16.01.2015

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के उपर्युक्त संदर्भित पत्र के क्रम में विषयगत संरेखण में विभिन्न ब्यास वर्ग के नाप भूमि में 16 बांज वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-124/X-4/05(02)/2014(TC) दिनांक 2-9-2014 द्वारा बिन्दु संख्या-3 में दिये गये निर्देशानुसार 0-10 वृक्षों को सैंपलिंग के रूप में गणना कर अलग से पुष्टि करना तथा उनसे प्रभावित होने वाले वृक्षों में सम्मिलित नहीं किया जाना है। जिसके आधार पर 16-3=13 वृक्ष होते हैं। चूंकि 0-10 ब्यास वर्ग के विभिन्न प्रजाति के 3 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। अतः 13 बांज वृक्षों को पातन करने की आवश्यकता है।

भवदीय

(एस0पी0 सुबुद्धि)

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

पत्रांक : 1678 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।

(एस0पी0 सुबुद्धि)

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।